



**कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो.नि.वि., पोखरी (चमोली)**

Phone/Fax No. :- 01372-222156

Email:- eepwdpokhari@rediffmail.com

पत्रांक 814 / 15सी0 वनभूमि
सेवा में,

दिनांक 25/05/2021

उप वन संरक्षक,
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग,
गोपेश्वर (चमोली)।

विषय:- राज्य योजना के अन्तर्गत पोखरी-हरिशंकर-चौड़ी-रौता मोटर मार्ग से सिमलासू तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.120 हे0 सिविल एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.060 कुल 1.180 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ:- भारत सरकार के पत्र सं0 8 बी0/यू0सी0पी0/06/16/2021/एफ0सी0/126 दिनांक 30.04.2021।

महादेय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में राज्य योजना के अन्तर्गत पोखरी-हरिशंकर-चौड़ी-रौता मोटर मार्ग से सिमलासू तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.120 हे0 सिविल एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.060 कुल 1.180 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव में इंगित आपत्तियों का निराकरण निम्न प्रकार है।

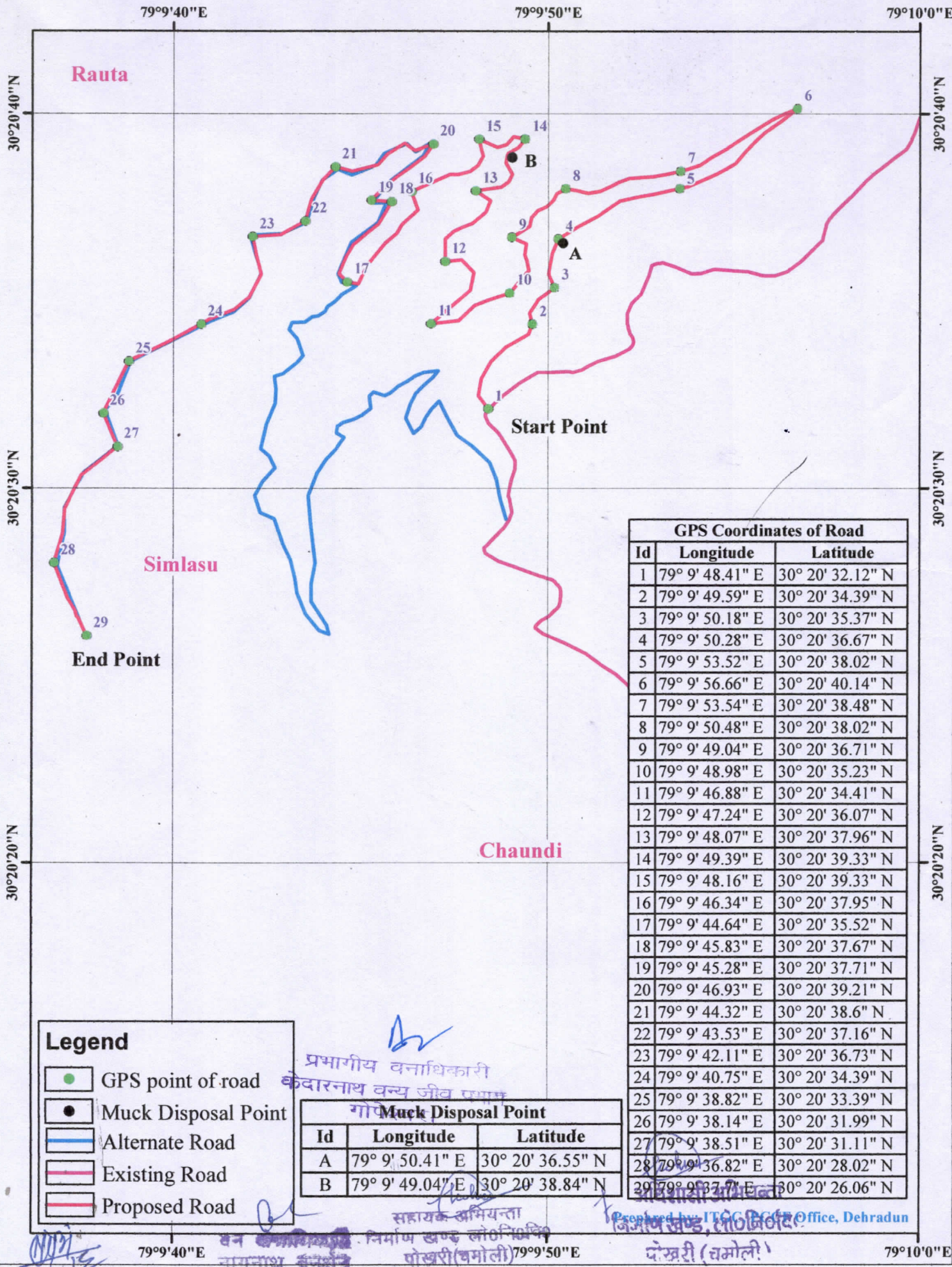
क्र0सं0	इंगित आपत्ति	निराकरण
01	राज्य सरकार द्वारा इस कार्यालय में समसंख्यक ई0डी0एस0 दिनांक 17.02.2021 में उल्लेखित बिन्दु संख्या 3,5,6, एवं 7 का प्रेषित जवाब सही नहीं पाया गया है। अतः राज्य सरकार इस कार्यालय के ई0डी0एस0 दिनांक 17.02.2021 के बिन्दु संख्या 3,5,6 एवं 7 का उचित जवाब प्रेषित करना सुनिश्चित करें।	ई0डी0एस0 दिनांक 17.02.2021 में उल्लेखित बिन्दु संख्या 3,5,6, एवं 7 में चाही गई आवश्यक सूचनाओं का जवाब निम्नवत है। बिन्दु सं0-3 मार्ग की टोपोशीट एवं डिजिटल मैप में उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर के प्रतिहस्ताक्षर कर दिये गये हैं। बिन्दु सं0-5 क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्ता प्रमाण पत्र एवं कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण पत्र में उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर के प्रतिहस्ताक्षर कर दिये गये हैं। बिन्दु सं0-6 क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना का प्राकलन संलग्न कर दिया गया है। बिन्दु सं0-7 उक्त आपत्ति उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर कार्यालय से सम्बन्धित है।
02	के0एम0एल0 फाईल से यह ज्ञात होता है कि लाभान्वित ग्राम पूर्व में ही मार्ग से जुड़े हुये हैं। अतः प्रस्तावित मार्ग को कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है, इस पर राज्य सरकार अपना स्पष्ट प्रतिवेदन प्रेषित करना सुनिश्चित करें।	विषयक मोटर मार्ग उडामाण्डा-सिनाउ-रौता मोटर मार्ग के कि0मी0 27.00 (है0मी0 0 से 2) से प्रस्तावित है। ग्राम-सिमलासू के ग्रामीणों द्वारा वर्ष 2017-18 में जिला पंचायत, चमोली द्वारा उडामाण्डा-सिनाउ-रौता मोटर मार्ग के कि0मी0 28 से सिमलासू को जोड़ने हेतु मोटर मार्ग का निर्माण प्रारम्भ किया गया था, जो कि ग्राम-सिमलासू के निर्मित भवनों के नीचे स्थित नाप भूमि से निर्माण किया जाना प्रस्तावित था। 300मी0 मार्ग निर्माण के पश्चात भूमि धसाव के कारण निर्मित भवनों का खतरा उत्पन्न होने से ग्रामीणों द्वारा मार्ग निर्माण पर आपत्ति की गई जिसके कारण मार्ग निर्माण रोक दिया गया एवं ग्राम-सिमलासू मोटर मार्ग से पूर्णत नहीं जुड़ सका है। सिमलासू के ग्रामीणों द्वारा प्रस्तावित समरेखण पर मोटर मार्ग की मांग की जा रही है। ग्राम-सिमलासू के ग्रामीणों को प्रतिदिन यातायात हेतु अत्यधिक दूरी को कम करने एवं समय व ससाधनों की बचत हेतु शासन द्वारा गांव को सुलभ संयोजकता प्रदान करने हेतु प्रस्तावित मोटर मार्ग कुल लम्बाई 1.925 कि0मी0 की स्वीकृति प्रदान की गई है।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार

(इं0 राजकुमार)
अधिशासी अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0
पोखरी (चमोली)

जियोरेफेरेंस मैप :-जनपद चमोली में राज्य योजना के अंतर्गत प्रस्तावित पोखरी-हरिशंकर-चौण्डी-रौता मोटर मार्ग से सिमलासू तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य हेतु

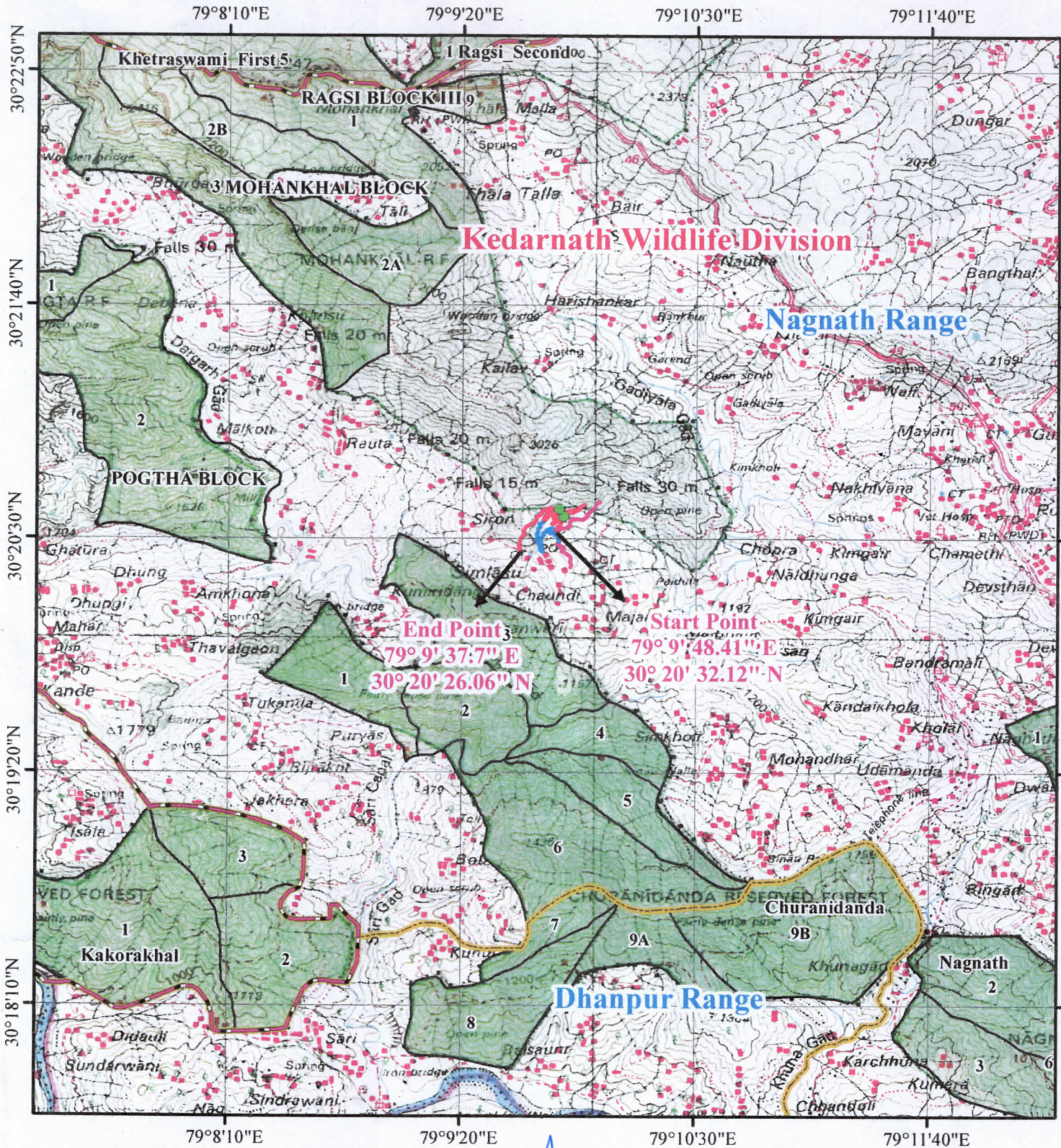
0 0.02 0.04 0.08 0.12 0.16 Km Scale-1:4,000



डिजिटल मैप :- जनपद चमोली में राज्य योजना के अंतर्गत प्रस्तावित पोखरी-हरिशंकर-चौण्डी-रौता मोटर मार्ग से सिमलासू तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य हेतु

0 0.25 0.5 1 1.5 2 Km

Scale-1:50,000



Legend

- Alternate Road
- Existing Road
- Proposed Road
- Division Boundary

- Range Boundary
- Reserve Forest Area
- Muck Disposal Points

प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

अधिसारी अभियन्ता
जिर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
चमोली

Prepared by: JGC, PCCF Office, Dehradun

परियोजना का नाम:-

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में पोखरी-हरिशंकर-चौड़ी-रौता मोटर मार्ग से सिमलासू तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.120 हे० सिविल वन भूमि, एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.060 हे० कुल भूमि 1.180 हे० सिविल वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण स्थल उपयुक्तता प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में पोखरी-हरिशंकर-चौड़ी-रौता मोटर मार्ग से सिमलासू तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.180 हे० के बदले दूगने क्षेत्रफल में अर्थात् 2.360 हे० भूमि ग्राम-सिमलासू में उपयुक्त है।


वन क्षेत्राधिकारी
नामनाथ वन क्षेत्र

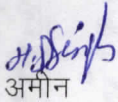
ह०/-
प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

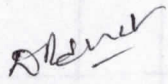
परियोजना का नाम:-

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में पोखरी-हरिशंकर-चौंड़ी- रौता मोटर मार्ग से सिमलासू तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.120 हे० सिविल वन भूमि, एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.060 हे० कुल भूमि 1.180 हे० सिविल वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

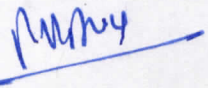
कार्य प्रारम्भ न होने का प्रमाण-पत्र

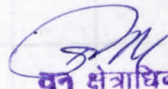
प्रमाणित किया जाता है कि प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित भूमि पर अभी तक कोई निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है। भारत सरकार से वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के अर्न्तगत स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही निर्माण कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।


अमीन


कनिष्ठ अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर


सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर


अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
गौचर


वन क्षेत्राधिकारी
नामनाथ वन हट


प्रमाणित अभियन्ताधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वर।

रव २१२१ नकल

गाम काननाम-सिमलासू रा. उप. नि. क्षेत्र-सिमलासू तहसील पारवरी जिला-यमोना

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
60	0.713	13	उ० प्र० स० स०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	भीत 0.713			0.713
341	0.390	13	उ० प्र० स० स०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	भीत 0.390			0.390
348	0.340	13	उ० प्र० स० स०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	भीत 0.340			0.344
357	1.213	13	उ० प्र० स० स०	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	भीत 1.213			1.213

कुल खसरा 2.656 है
सं 4

प्रमाणित किया जाता है कि नकल खसरा मुताबिक असल के है,
पौखरी दृष्टिकोण से भी सही होल गरी सिमलासू तक होल गरी के नव निर्माण हेतु
2.36 है सिविल 2 मी दृष्टिकोण इसी शेषन हेतु प्रमाणित की जाती है।

(निर्माण विभाग)
गाम काननाम-सिमलासू
तहसील-पारवरी, जिला-यमोना

परियोजना का नाम:— राज्य योजना के अन्तर्गत पोखरी—हरिशंकर—चौण्डी—रौता मोटर मार्ग से सिमलासू तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.180 है० वन भूमि लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

एम० ओ० यू० प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत परियोजना के निर्माण हेतु प्रभावित होने वाले 1.180 है० वन भूमि के एवज में दुगुने 2.36 है० क्षेत्र में क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु ग्राम सिमलासू, तहसील पोखरी, जिला चमोली के खाता संख्या 13 के खसरा नं० 60, 341, 348, 357 की सिविल सोयम भूमि, जो कि राज्य सरकार की भूमि है तथा जिसमें राज्य सरकार का स्वामित्व है, याचक विभाग की मांग के अनुसार सम्बन्धित भूमि को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु वन विभाग के नाम हस्तान्तरण एवं नामान्तरण करने के लिए राजस्व विभाग सहमत है।


उपजिलाधिकारी
पोखरी

परियोजना का नाम:-

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद चमोली में पोखरी-हरिशंकर-चौडी- रौता मोटर मार्ग से सिमलासू तक मोटर मार्ग के नव निर्माण हेतु 1.120 हे० सिविल वन भूमि, एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.060 हे० कुल भूमि 1.180 हे० सिविल वन भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण प्रस्ताव।

क्षतिपूरक वृक्षारोपण योजना

क्षतिपूरक वृक्षारोपण की विस्तृत योजना सम्बन्धित प्रभागीय वनाधिकारी द्वारा तैयार की जायेगी व उसमें हस्ताक्षर किये जायेंगे।


वन क्षेत्राधिकारी
नामनाथ वन क्षेत्र


ह०/-
प्रभागीय वनाधिकारी
केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग
गोपेश्वरा

राज्य योजना के अन्तर्गत पोखरी -हरिश्चंकर -घोड़ी रोता मोटर मार्ग 1.925 किमी० मोटर मार्ग निर्माण कार्य हेतु 1.12 है० सिविल वन भूमि हस्तान्तरण के एवज में दो गुना क्षेत्रफल में क्षतिपूर्क वृक्षारोपण योजना का प्राक्कलन

- परियोजना का नाम- पोखरी -हरिश्चंकर घोड़ी , रोता तक 1.925 किमी० मोटर मार्ग निर्माण कार्य
- वृक्षारोपण स्थल का नाम-
- वृक्षारोपण का कुल क्षेत्रफल-
- रोपित किये जाने वाली पौधों की संख्या
- रोपित किये जाने वाले प्रजाति -प्राकृतिकवास के अनुसार

2.24 है०
4480 पौध

कंदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर-नारायण वन क्षेत्र

क्र०स०	कार्य विवरण	इकाई	दर	घनराशि
1	2	3	4	
1	सर्वेक्षर व सीमांकन कार्य	2.24 है०	151.00	338.24
2	वृक्षारोपण क्षेत्र की झाड़ी काटना व सफाई करना	1.00 है०	5050.00	5050.00
3	दीवालबन्दी कार्य पर व्यय (घ०मी० में)	224.00 घ०मी०	346.00	77504.00
4	अभियन्त्रण व जल संरक्षण कार्य पर व्यय	7 स०	15000.00	105000.00
5	गड्डे खुदान कार्य पर व्यय (0.30X0.30X0.45)	4480 स०	9.34	41843.20
6	निरीक्षण बटिया निर्माण कार्य पर व्यय	2.24 है०	600.00	1344.00
7	अन्य व्यय जैसे सयत्र क्रय करना औजार तेज करना	2 बार	568.00	1136.00
8	पौध की कीमत (प्रथम वर्ष)	4480 स०	9.00	40320.00
योग प्रथम वर्ष				272535.44
द्वितीय चरण				
1	गड्डे भरान कार्य (0.30X0.30X0.45)	4480 स०	1.78	7974.40
2	वृक्षारोपण से पूर्व क्षेत्र की झाड़ी काटना व सफाई करना	1.00 है०	2363.00	2363.00
3	पौध की कीमत (द्वितीय वर्ष)	4480 स०	2.13	9542.40
4	पौध डुलान का कार्य पर व्यय	4480 स०	11.00	49280.00
5	पौध रोपण तथा थावला बन्दी कार्य पर व्यय	4480 स०	3.46	15500.80
6	खाद उर्वरक व अन्य व्यय	4480 स०	1.00	4480.00
7	दो बार निराई गुड़ाई व मल्लिंग पर व्यय	4480 स०	4.43	19846.40
8	पौधों पर कल्चर कार्य	2000 स०	4.13	8260.00
9	देख-रेख व रखरखाव पर व्यय (7) माह	2.24 है०	595.00	9329.60
10	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखी घास व ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	2.24 है०	600.00	1344.00
11	सुरक्षा दीवाल के बाहर चार मोटर की पट्टी को साफ करना।	2.24 है०	212.00	474.88
12	वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना 1- प्रशिक्षण	2 स०	10000.00	20000.00
2- प्रोत्साहन				15000.00
12	साईन बोर्ड कण्डी, सुतली, बोरी एवं पौलीथीन सीट क्रय करना फोटोग्राफी प्रचार प्रसार व डोक्युमेंटेशन आदि	2.24 है०	L-S	7000.00
योग द्वितीय चरण				170395.48
तृतीय चरण				
1	पौध की कीमत	500	11	5500
2	पौध डुलान का कार्य पर व्यय	500	13	6500
3	पुनः गड्डा खोदना तथा रोपण करना	500	6	3000
4	रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	2.24 है०	595.00	15993.60
5	वृक्षारोपण क्षेत्र के अन्तर्गत सूखी घास व ज्वलनशील पदार्थों को हटाना	2.24 है०	600.00	1344.00
6	वृक्षारोपण की सुरक्षा दीवाल के बाहर 4 मी० पट्टी साफ करना	2.24 है०	212.00	474.88
7	शीतकाल में पौधों की गुड़ाई एवं मल्लिंग करना	4480	2.05	9184.00
8	वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा सुरक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों / समितियों को प्रोत्साहन देना 1- प्रशिक्षण	2 स०	15000.00	30000.00
2- प्रोत्साहन				20000.00
योग तृतीय चरण				76996.48
चतुर्थ चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	2.24 है०	595.00 प्रति है०	11450.00
योग चतुर्थ चरण				11450.00
पंचम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	2.24 है०	595.00 प्रति है०	15993.60
योग पंचम चरण				15993.60
षष्ठम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त षष्ठम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	2.24 है०	595.00 प्रति है०	15993.60
योग षष्ठम चरण				15993.60
सप्तम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	2.24 है०	595.00 प्रति है०	15993.60
योग सप्तम चरण				15993.60
अष्टम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	2.24 है०	595.00 प्रति है०	15993.60
योग अष्टम चरण				15993.60
नवम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त नवम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	2.24 है०	595.00 प्रति है०	15993.60
योग नवम चरण				15993.60
दशम चरण				
1	रोपण वर्ष के उपरान्त दशम वर्ष में रखरखाव व अनुरक्षण कार्य (12) माह	2.24 है०	595.00 प्रति है०	15993.60
योग दशम चरण				15993.60
कुल योग				627339.00
				या 627339.00